सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202

Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 92/पि0व0क0/छात्र0 जॉच/2024–25 दिनॉक–20.06.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल आथन्टिकेशन करायें जाने का निर्देश प्राप्त है। जिसके क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा प्रषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

21/06/24

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 435 /सूचना/2024 दिनांक– 21 / 06 /2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

21/06/24

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1–कुल सचिव,सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,कपिलवस्तु।
2–प्राचार्य,माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज,सिद्धार्थनगर।
3–प्राचार्य,डा0 मिथिलेशमणि त्रिपाठी कालेज ऑफ फार्मेसी,गौरागढ़
4–प्राचार्य,आर0ए0 इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मेसी,रमवापुर कुर्थिया।
5–प्राचार्य,सिद्धार्थ शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान करौंदा मसिना।
6–प्राचार्य,डी0एस0एस0ओ0पी0,फार्मेसी कालेज,करौंदा मसिना।

पत्रांक 92 /पि0व0क0/छा0जॉच/2024–25, दिनॉक 20 जून, 2024

विषय– उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन के माध्यम से सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 526 दिनॉक 06 जून,2024 जो जिलाधिकारी महोदय,सिद्धार्थनगर को सम्बोधित है,के साथ संलग्न पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2,उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 264/64–2–2024 दिनॉक 05 जून,2024 एवं श्रीट्रान इन्डिया लि0 के पत्र संख्या SIL/24-25/AEBES/BACKWARD(PM-YASASVI)/APP/280/372/61दिनांक 15.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि किये जाने दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की नियमानुसार दैनिक उपस्थिति की गणना शासन के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि0 के द्वारा संचालित आधार बेस्ड **बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन सिस्टम के माध्यम से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। तथा उपरोक्त आधार पर शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत व उसे अधिक उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी।**

प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2024–25 शैक्षणिक संस्था स्तर पर संचालित तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूह–1 में रखे गये पाठ्यक्रमों–B.A.M.S, B.ARCH, B.B.A & M.B.AIntegrated, B.B.A+M.B.AIntegrated,B.D.S, B.F.A.D, B. PHARMA, B.Tech (Integrated), B.Tech/B.E,B.Tech+M.Tech Integrated, Doctor of pharmacy, L.L.M,L.L.M Course in Human rights and duties education,L.L.M one year, M.Tech, B.B.A, M.B.B.S,M.D.S,M.I.B,M.P.T,M.Pharma,M.S master of pharmacy (pharmacology) ,Master of pharmacy (PHARMCEUTICALChemistry),Master of pharmacy (pharmaceutics), M.B.A (Integrated),M.C.A,MD Ayurved,MS Ayurved,phD **(शासकीय, गैर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं)** में यह व्यवस्था लागू की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 से पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल

ऑथन्टिकेशन सिस्टम के माध्यम से सम्पादित कराया जायेगा। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले समस्त प्रकार के व्यय का वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

अतः उक्त के क्रम में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के जनपद सिद्धार्थनगर के उपरोक्त शैक्षणिक संस्थाओं/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि0 (प्रोजेक्ट मैनेजर,ए0पी0 पवार, मोबाइल नम्बर 9205834426,ईमेल आई0डी0–aua@auashreetron.com से सम्पर्क स्थापित कर उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश लखनऊ से निर्गत शासनादेश संख्या 264/64–2–2024 दिनॉक 05 जून,2024 के द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन समयान्तर्गत पूर्ण करायें, एवं निम्न प्रारूप पर सूचना तत्काल जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर के ई–मेल dbcwosiddharthnagar@gmail.com एवं श्रीट्रान इन्डिया लि0 के ईमेल आई0डी0–aua@auashreetron.com पर उपलब्ध कराये जिससे दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाला कोई छात्र/छात्रा प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रहे। योजनान्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

University /College Code	University/College Name	प्रबन्धक / प्राचार्य / प्रधानाचार्य का नाम	Mobile No.	District Name	GST Number	Address

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजन)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

<u>पत्रांक एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार।</u>
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
1–निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी,सिद्धार्थनगर।
3–मुख्य विकास अधिकारी,सिद्धार्थनगर।
4–जिला विद्यालय निरीक्षक,सिद्धार्थनगर।
5–प्रबन्ध निदेशक,श्रीट्रान इण्डिया लि, गोमती नगर लखनऊ।
6–उपनिदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,बस्ती मण्डल,बस्ती।
7–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर।
8–अन्य समस्त शिक्षण संस्थान।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
अध्यक्ष जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 526 /पि0व0क0/2024-25 लखनऊ दिनांकः 06 जून, 2024

विषयः **उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमिट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन के माध्यम से कराये संपादित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-264/64-2-2024 दिनांक 05-06-2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि किये जाने दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की नियमानुसार दैनिक उपस्थिति की गणना शासना के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि0 के द्वारा संचालित **आधार बेस्ड बायोमिट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन सिस्टम के माध्यम से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा उपरोक्त आधार पर शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत व उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य** होगी।

प्रथम चरण में (वित्तीय वर्ष 2024-25) शैक्षणिक संस्था स्तर पर संचालित तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूह-1 (सूची संलग्न) में रखे गये पाठ्यक्रमों (शासकीय, गैर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं) में यह व्यवस्था लागू की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमिट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन सिस्टम के माध्यम से सम्पादित कराया जायेगा। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले समस्त प्रकार के व्यय का वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि जनपद में संचालित एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक संस्थानों की अपने स्तर से बैठक आयोजित कर शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था **श्रीट्रान इण्डिया लि0 (प्रोजेक्ट मैनेजर, ए0पी0 पवार, मोबाइल नम्बर-9205834426, ई-मेल आई0डी0-**

aua@auashreetron.com) से सम्पर्क स्थापित कर उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–264/64–2–2024 दिनांक 05–06–2024 के द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करायें, जिससे दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाला कोई छात्र प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रहे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,
06.6.24
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक
06/06/24

पृष्ठांकन सं0/ 526 /पि0व0क0/2024–25/तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन को शासनादेश संख्या–264/64–2–2024 दिनांक 05–06–2024 के क्रम में सूचनार्थ।

2– निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3– प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।

4– उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल में सन्दर्भगत प्रकरण में निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

6– समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों की बैठक आयोजित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्देश का अनुपालन समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

06.6.24
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक
06/06/24

E-mail 05-06-2024

संख्या-264/64-2-2024

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 जून, 2024

विषयः- उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्रीट्रान इण्डिया लि0 के पत्र संख्या-एसआईएल/24-25/ओसी-32/एपीपी/158, दिनांक 04-05-2024 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-370/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 15-05-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1/छात्रवृत्ति/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के प्रस्तर-6 (xviii) में प्राविधानित है कि शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की पी0एम0 यशस्वी योजना की गाइडलाइन के प्रस्तर-4.1(iii) में स्पष्ट प्रावधान है कि छात्रवृत्ति का लाभ आधार आधारित सिस्टम से लिंक्ड होगा। प्रस्तर-11.1 में व्यवस्था है कि छात्रवृत्ति का लाभ 75 प्रतिशत की उपस्थिति एवं संतोषजनक अकादमिक प्रदर्शन पर दिया जायेगा। उपस्थिति आधार बेस्ड एटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से ही सत्यापित की जायेगी। प्रस्तर-12.2 के अनुसार राज्य व केन्द्र सरकार दोनों से प्राप्त छात्रवृत्ति की समस्त धनराशि जिसमें शिक्षण शुल्क, अकादमिक भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते सम्मिलित होंगे, का हस्तांतरण सीधे छात्रों के खाते में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मुख्यतः एक आधार आधारित भुगतान सिस्टम के माध्यम से होगा।

3- समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनदेश संख्या-78/2023/2631/26-3-2023-C.N.-1635592 दिनांक 28 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023 के प्रस्तर-6 (xiv) के अनुसार शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्ययभार का वहन संबन्धित शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

4- समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-76/2023/2634/26-3-2023-सी.एन.-1574316, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023 के प्रस्तर-6 (xiv) में प्रावधान है कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्ययभार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। तत्क्रम में निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा पत्रांक-सी-3115/स0क0/शिक्षा-31/4/159-2/2023-24, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से (दो चरणों में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में) समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था किये जाने हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों को कड़े निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

5- उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-997/सत्तर-3-2024, दिनांक 09 मई, 2024 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में नामांकित विद्यार्थियों का आधार ऑथेन्टिकेशन कराये जाने हेतु समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 के पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/43/2024-25, दिनांक 24 अप्रैल, 2024 व पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/49-50/2024-25, दिनांक 26 अप्रैल, 2024 द्वारा समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों से आधार ऑथेन्टिकेशन सेवाओं पर इंटीग्रेशन चार्ज वन टाइम एवं SUB AUA Nos. Of monthly Transaction वहन किये जाने के सम्बन्ध में श्रीट्रान इण्डिया लि0 के नियम व शर्तों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

6- इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2974/78-2-2017-113आई0टी0/2017टीसी-I, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के माध्यम से श्रीट्रान इण्डिया लि0 को सभी विभागों हेतु AUA (ऑथेन्टिकेशन यूजर एजेंसी) नामित किया गया है तथा यू0आई0डी0ए0आई0 भारत सरकार के पत्र संख्या-के0-11022/673/2017- यू0आई0डी0ए0आई0 (ऑथ-II) दिनांक 15.11.2017 द्वारा श्रीट्रान इण्डिया लि0 को AUA हेतु अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में आधार सम्बन्धित कार्य (Aadhar Seeding, Authentication, e-KYC, e-Sign) एवं उक्त कार्य हेतु सभी विभागों को SUB AUA (सब-ऑथेन्टिकेशन यूजर एजेंसी) बनाते हुये आधार से सम्बन्धित कार्यों हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को अधिकृत किया गया है। इसके क्रम में नियोजन विभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग के पत्र संख्या-04/7-294/ज0नि0प्र0/2017, दिनांक 14-12-2017 द्वारा समस्त विभागों को आधार सीडिंग, ऑथेन्टिकेशन, ई-केवाईसी, ई-साइन हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पहले से ही विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत श्रीट्रान इण्डिया लि0 के अन्तर्गत यू0आई0डी0ए0आई0 अधिकृत SUB AUA है। अतः इस योजना में विभाग को SUB AUA बनाये जाने में किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

7- अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजना में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(i) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की नियमानुसार दैनिक उपस्थिति की गणना शासन के आई0टी0 एवं

इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि0 के द्वारा संचालित आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराया जाय।

(ii) यह कार्य प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25) में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूह-1 में रखे गये पाठ्यक्रमों (शासकीय, गैर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं) हेतु आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम की व्यवस्था लागू की जायेगी। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले व्यय के वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

(iii) द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2025-26) में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत् तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम की व्यवस्था लागू की जायेगी। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले व्यय के वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

8- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति श्रीट्रान इण्डिया लि0 के माध्यम से आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। श्रीट्रान इण्डिया लि0 को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों तथा अन्य सम्बन्धितों को भी यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, पशुधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, न्याय विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0 अपट्रॉन बिल्डिंग गोमती नगर, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र "राज्य इकाई" योजना भवन लखनऊ।

आज्ञा से

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।